

# कार्यालय सयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, पाली संभाग पाली

## -:: कार्यालय आदेश ::-

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/एफ-1/12102/सी.भ./विभिन्न विषय/रिशफल आवंटन/2020 दिनांक 03.04.2023 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर एसबीसिरिपी याचिका संख्या 5853/2019 दिनेश चौधरी व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2022 की पालना में दायर अवमानना याचिका संख्या 617/2022 में पारित निर्णय दिनांक 14.03.2023 की पालना में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 से चयनित आशार्थियों (विषय-संस्कृत) को नियुक्ति हेतु पदस्थापन के लिए इस कार्यालय को सुपुर्द करने के फलस्वरूप इन्हें राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के वेतन लेवल-11 में दो वर्ष की अवधि हेतु प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत मानदेय 26500/- (अक्षरे छब्बीस हजार पांच सौ रूपयें) पर नियुक्ति दी जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापन किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ12(9) एफडी(रूल्स)/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा। परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा। सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे:-

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1) डीओपी/ए-1/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.02 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 10/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
3. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बन्धी आशय का 10/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
4. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
5. राज्य की बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यक्षीन प्रदान की जावे। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थियों से 10/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेंगी।
6. परिवीक्षाकाल प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षती पुर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी), विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
7. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई कटौतियां की जावेगी।
8. परिवीक्षाकाल प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
9. परिवीक्षाकाल प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक आकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-12(9)एफ.डी.रूल्स) 2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
10. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व आवेदन पत्र में सलंगन दस्तावेजों का मूल प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों से जांच की जानी आवश्यक है।
11. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञापित वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) प्रतियोगी परीक्षा 2016 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णयों के अध्यक्षीन रहेगा।

Digitally signed by P. Ram Mewta  
Designation: Deputy Director  
Date: 2023.04.06 15:53:54 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3584493

1472  
06/04/2023



12. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र प्राप्त करे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।
13. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धुमपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने सम्बन्धी बचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
14. सम्बन्धित संस्था प्रधान/पी.ई.ई.ओं. को निर्देशित किया जाता है कि यदि सम्बन्धित विद्यालय में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में कार्यग्रहण नहीं करावे।

क्र० सं०	विषय	मेरिट क्रमांक	नाम अभ्यर्थी एवं पिता का नाम	स्थाई निवास का पता	जन्म तिथि	वर्ग	चयन वर्ग	विद्यालय का नाम
1	संस्कृत	M-1421-A	SURAJ KANWAR CHUNDAWAT/ GIRDHARI SINGH CHUNDAWAT	F-337, NEW BAPU NAGAR, BEHIND AMBEDKAR HOSTEL, BHILWARA PIN-311001	03-05-1990	GE, WE	GENM	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BOMADARA (221472) DIST. PALI

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापन स्थान पर दिनांक 27.04.2023 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर सम्बन्धित संस्था प्रधान मूल आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/ सूचनाएँ सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकेगी।

उक्त नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा-2016 के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर डीबीएसडब्ल्यू संख्या 28/2023 आयोग बनाम दिनेश कुमार चौधरी व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

(पालाराम मेवता)  
संयुक्त निदेशक  
स्कूल शिक्षा, पाली संभाग पाली

क्रमांक: सनि/शिक्षा/पाली/संस्था-1/आरपीएससी-16/वअ/संस्कृत/23/1472 दिनांक :- 06-04-2023  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा मंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
4. शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
5. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
7. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
8. आयुक्त, रा.मा.शि.अ. राजस्थान सरकार जयपुर।
9. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान।
10. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा ..... को मूल आवेदन पत्र सहित।
11. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
12. सम्बन्धित संस्था प्रधान/पी.ई.ई.ओ उमावि/मावि.....
13. शाखा अवधायक, शाला दर्पण कार्यालय हाजा को वास्ते विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
14. सम्बन्धित आशार्थी।
15. रक्षक पंजिका।

संयुक्त निदेशक  
स्कूल शिक्षा, पाली संभाग पाली

Signature valid

Digitally signed by P. Ram Mewta  
Designation : Deputy Director  
Date: 2023.04.06 15:53:54 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3584493

